Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एलआर/6039/2002/हनुमानगढ़

ग्रामवासी डबलीवास पेमा द्वारा कृष्णलाल उर्फ कृष्णराम पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी डबलीवास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1.बजरंग पुत्र परमाराम जाति स्वामी

2. तारूराम पुत्र चेतनराम जाति चमार

3 सुखराम पुत्र चेतनराम जाति चमार

4 रामस्वरूप पुत्र श्री पूरण

समस्त निवासी डबलीवास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

रेस्पोडेण्ट्स

एकलपीठ
श्री चिरंजी लाल दायमा, सदस्य

उपस्थित
श्री मनीष पाण्डया, अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री ब्रह्मानंद शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 16.4.18

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3-5-97 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मूलतः ग्रामवासी डबली बास द्वारा एक प्रार्थना–पत्र राजस्थान उपनिवेशन सामान्य शर्त संख्या 8 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनका रास्ता चक 3 एम.ओ.डी. से पुल के उपर होता हुआ चक 9 व 10 एम.ओ.डी.की आबादी में से चक 16 जे. आर.के. एवं 14 जे.आर.के.बी. की आबादी को 20–25 वर्षो से चला आ रहा है किन्तु राजस्व अभिलेख में स्वीकृत नहीं है । इसलिए यह रास्ता स्वीकार किया जावे । दिनांक 24–5–89 के राजस्व अभियान में उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थीगण को बुलवाया गया जिसमें कृपालसिंह बावरी ने उपस्थित होकर कहा कि पत्थर नंबर 58/265 के किला नंबर 5 में से रास्ता स्वीकार किया गया है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है शेष अप्रार्थीगण सूचना के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए । ऐसी स्थिति में उपस्थित व्यक्तियों से तथ्यों की पुष्टि कर मौके पर तीन मुरब्बों में से रास्ता पिछले 17 वर्षो से चल रहा है किन्तु अब संबंधित की खातेदारी में है । इसलिए रास्ता स्वीकार किया जाना आवश्यक है । ऐसी स्थिति में पूर्व में भी दिनांक 21–11–88 को रास्ता चालू करवाना एवं सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए चक 8 एम.ओ.डी. के पत्थर नंबर 58/265 (मुरब्बा नंबर 47) , 58/266 (मुरब्बा नंबर 63) एवं 58/267 (मुरब्बा नंबर 66) प्रत्येक मुरब्बों के किला नंबर 5, 6, 15, 16 व 25 में पूर्वी दिशा की ओर मुरब्बा लाईन के साथ –साथ 2–2 गड्ढा चौडा साढे सोलह फिट रास्ता स्वीकृत किया गया एवं राजस्व अभिलेख में भी अंकन का आदेश दिया गया । उक्त आदेश दिनांक 24–5–96 के विरूद्व वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत की गई । राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा दिनांक 3–5–97 को अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–5–89 निरस्त कर दिया । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 3–5–97 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

उपखण्ड अधिकारी , हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 24–5–89 में यह माना है कि राजस्व अभियान कैम्प डबलीवाला पेमा के दौरान प्रार्थी ग्राम वासी चक डबलीवास पेमा ने प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि उनका रास्ता चक 3 एमओडी से उपर से होता हुआ चक 9–10 एमओडी की आबादी में से चक 16 जे.आर.के. एवं 14 जे.आर.के.बी. की आबादी को 20–25 वर्षो से चला आ रहा है किन्तु राजस्व अभिलेख में मंजूरशुदा नहीं है । इसलिए यह रास्ता मंजूर किया जावे । अप्रार्थीगण को बुलवाया गया जिसमें कृपालसिंह बावरी सा0 डबलीवाल होना उपस्थित होकर कहा कि यदि पत्थर नंबर 58/265 (मुरब्बा नंबर 47) के किला नंबर 5 में से रास्ता स्वीकार किया गया है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है शेष अप्रार्थीगण सूचना के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए । ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए जाते हैं । प्रस्तावित रास्ते हेतु नक्शा स्वयं अभिलेख का अवलोकन किया गया सभी उपस्थित व्यक्तियों ने इस तथ्य की ताईद की कि मौके पर तीन मुरब्बों में से रास्ता पिछले 17 साल से कदीमी चल रहा है लेकिन अब संबंधित खातेदारों ने रूकावट डालना शुरू कर दिया है । इसलिए रास्ता मंजूर किया जाना आवश्यक है । इस बारे में पूर्व में भी दिनांक 21–11–88 को मौके पर रास्ता चालू करवाया गया था । अतः सार्वजनिक हित को देखते हुए एवं अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता न हीं होने के कारण इन मुरब्बों में से रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान उपनिवेशन सामान्य शर्त संख्या 8 चक 8 एम.ओ.डी. के पत्थर नंबर 58/265 (मुरब्बा नंबर 47) , 58/266 (मुरब्बा नंबर 63) एवं 58/267 (मुरब्बा नंबर 66) प्रत्येक मुरब्बों के किला नंबर 5, 6, 15, 16 व 25 में पूर्वी दिशा की ओर मुरब्बा लाईन के साथ –साथ 2–2 गड्ढा चौडा साढे सोलह फिट रास्ता स्वीकृत किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ ने अपने आदेश दिनांक 3-5-97 में यह माना है कि अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है दूसरे चकों की आबादी के लिए रास्ता स्वीकृत है जो मौके पर चालू है अपीलाण्ट की उक्त आराजीयात में से होकर वैकल्पिक रास्ता स्वीकृत किया है एवं अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना दर्ज किया है जो पत्रावली में संलग्न चक 8 एमओडी के पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों में दर्ज तथ्यों के विपरीत है । अतः उचित नहीं है । अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से होती है । अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाता है ।

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस में बताया कि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय आख्यापाक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है । अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । राजस्व अपील प्राधिकारी का यह दायित्व था कि वे प्रकरण में उचित सुनवाई का अवसर देने के बाद परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर देते किन्तु ऐसा नहीं करके क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है । उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतया तथ्यामक था एवं मौके पर जाकर पारित किया था जबकि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित बिना किसी अभिलेख के निष्कर्ष अंकित किया है जो निरस्त योग्य है । वर्तमान अप्रार्थीगण ग्रसित पक्षकार की श्रेणी में भी नहीं था क्योंकि उनके द्वारा भूमि जो बताई गई है उस भूमि में से यह रास्ता वर्षो से चला आ रहा है । चूंकि राजस्व अभिलेख में स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं था इसलिए इसे स्वीकृत किया गया था किन्तु उनके द्वारा यह कहना कि इस

रास्ते स्वीकृति से उनकी भूमि कम हो गई है जिसका मुआवजा नहीं मिला है पूर्णतया मिथ्या है । क्योंकि प्रथमतः तो शर्त सख्या 8 (2) में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है । द्वितीय उक्त भूमि में रास्ता बहुत पहले समय से निरंतर चालू एवं इस रास्ते को स्वीकार कर कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनका कथन है कि राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है जिससे रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है । एक काश्तकार ने लिखित में यह भी दिया कि उसे रास्ता मंजूर किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । रास्ता वर्षो से चला आ रहा है । राजस्व नियम की शर्त 8 में मुआवजे का प्रावधान नहीं है । अतः अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट का कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है । उन्हें सुनवाई का अवसर पूर्ण दिया गया है । तहसीलदार की कोई मोके की रिपोर्ट ही नहीं है । एकतरफा में कोई रिपोर्ट ली गई है तो उसका कोई महत्व नहीं है। पहले से यदि कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो नये रास्ते की क्या आवश्यकता है । शर्त के आधार पर रास्ता नहीं दिया जा सकता है । दोनों व्यक्तियों के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं । अत अपील खारिज की जावे।

6. प्रतिउत्तर में विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बताया कि उन्हें बिना सुने ही राजस्व अपील प्राधिकारी ने आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

7. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया ।

8. सरपंच, ग्राम पंचायत का प्रमाण–पत्र दिनांक 11–10–2002 को जारी किया गया है कि डबली बास पेमा से डबली राठान उप तहसील को जाने का रास्ता चक 8 एम.ओ.डी. में बजरंगदास पुत्र अन्नादास चेतनराम पुत्र पन्नाराम व रामस्वरूप पूर्णाराम मेघवाल चक 9 एम.ओ.डी. में 5 बीघा कुल 15 बीघा रास्ता उप जिला कलेक्टर, हनुमानगढ द्वारा वर्षो पूर्व स्वीकृति तिथि से लगभग 25 वर्षो से चालू है तथा इस रास्ते के अलावा उप तहसील व काश्तकारों को खेतों में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है । ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 11–10–2002 को आम रास्ता प्रस्ताव संख्या 6 भी पारित किया है जिसमें यह अंकित किया है कि डबलीवास चेना पेमा का आम रास्ता जो उप तहसील कार्याय डबली राठान को जाता है जो मौके पर चालू है । चक 8 एमओडी में 10 बीघा रास्ता बजरंग दास पुत्र अन्नादास स्वामी व चेतनराम पुत्र पन्नाराम के लडकों द्वारा जबरदस्ती बंद करने की कोशिश की जा रही है जो उचित नहीं है । उपरोक्त रास्ता बंद कर दिया गया तो डबली बास पेमा डबली बास चेना, डबली बास फतेहमौहम्मद व 12 जे.आर.के. का उपतहसील से सम्पर्क टूट जायेगा व सैकडों काश्तकारों को अपने खेत में जाने से वंचित होना पडेगा । डबली राठान से 10 एमओडी तक पक्की सडक बनी हुई है व 10 एमओडी से डबली बास पेमा तक सडक प्रस्तावित है । उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाता है । पटवारी हल्का डबली पेमा द्वारा जो नक्शा चक 8 एमओडी प्रस्तुत किया गया है उसमें यह नोट अंकित है कि पत्थर नं0 58/265, 58/266, 58/267 के किला नंबर 5,6,15, 16, 25 के अंदर पूर्व की ओर साढे सोलह फीट उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 24–5–89 को स्वीकृत किया गया है । रास्ता स्वीकृत होने के समय दिनांक 24–5–89 द्वारा ग्रामवासी द्वारा रास्ता मंजूर करने के संबंध में प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी , डबली पेमा को दिया गया था जिस पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई थी । पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट

किया है कि रास्ता चालू है किन्तु राजस्व रिकार्ड में मंजूर नहीं है । यह रास्ता पुल पर होकर जाता है । मोके पर रास्ता स्वीकृत नहीं है किन्तु मौके पर रास्ता चालू है । सरपंच ग्राम पंचायत डबली पेमा ने उपखण्ड अधिकारी को पत्र द्वारा सूचित किया है कि रास्ता विगत 50 वर्षो से चालू रहा है । इस रास्ते को सुविधा के लिए स्वीकृत कराया जाना आवश्यक है । भूतपूर्व सरपंच डबली बास पेमा चैना ने एक प्रमाण पत्र दिया है कि चक 8 एमओडी. के पत्थर नंबर 57/265 (मुरब्बा नंबर 46) , 57/266 के किला नंबर 5, 6, 15, 16 व 25 व प0 नं एवं 57/267 (मुरब्बा नंबर 65) के किला नंबर 6 में पत्थर लाईन पर स्वीकृतशुदा रास्ता है । जो मौके पर चालू है यह रास्ता एमओडी नहर है साथ –साथ नहर के उत्तर की तरफ स्वीकृतशुदा व चालू रास्ता से मिलता है और इससे पत्थर नं0 58 की लाईन पर नहर पर बने पुल को जोडता है ।

9. सरपंच, एवं भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत आम प्रस्ताव संख्या 6 , पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मौके पर रास्ता चालू है किन्तु रिकार्ड में रास्ता नहीं है। पंचायत ने जो प्रस्ताव लिया है उससे स्पष्ट है कि रास्ता बंद करने से डबली बास पेमा चैना डबली फतेहमौहम्मद व डबली राठान उप तहसील से सम्पर्क टूट जाएगा । काश्तकारों को इससे हानि उठानी पडेगी। डबली राठान से 10 एमओडी पक्की सडक बनी हुई है। उपखण्ड अधिकारी ने मजमे आम में सभी पक्षों को सुनकर के आदेश निर्णय दिया है जिसमें कोई विधिक अनियमितता प्रतीत नहीं होती है रास्ते की आवश्यकता सभी को रहती है । रास्ता बंद किए जाने से सभी ग्रामवासी को अनावश्यक रूप से परेशानी है । जब यह रास्ता वर्षो से चालू है तो इसे बंद करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है । ऐसी स्थिति में मौका स्थिति को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी ने जो निर्णय लिया है वह विधिसम्मत प्रतीत होता है । राजस्व अपील प्राधिकारी ने उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को निरस्त किया है वह उचित प्रतीत

नहीं होता है । ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी का आदेश दिनांक 3-5-97 को निरस्त करते हुए उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक यथावत रखे जाने योग्य है ।

10. उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ का आदेश दिनांक 3-5-97 को निरस्त करते हुए उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ का आदेश दिनांक 24-5-89 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चिरंजी लाल दायमा)
सदस्य